संख्या–112ए/11-7-1990

प्रेषक,

श्री राम कृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : 6 नवम्बर, 1990

नगर विकास अनुभाग–7

विषय : नेहरू रोजगार योजना का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–666/9-1-90-5 ने/90, दिनांक 8 फरवरी, 1990 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के साथ आपको नेहरू रोजगार योजना की संक्षिप्त रूप रेखा पहले ही भेजी जा चुकी है। इस रूप रेखा में यह उल्लेख है कि नेहरू रोजगार योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) के अनुरूप ही एक अन्य स्वायत्तशासी संस्था जिला नगरीय विकास अभिकरण (एस.यू.डी.ए.) गठित किया जायेगा तथा यह संस्था ही नेहरू रोजगार योजना में शामिल विभिन्न योजनाओं के लिए अपेक्षित आवश्यक वित्तीय संसाधनोंकी प्रतिपूर्ति आदि का कार्य करेगी। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत निर्देशों के अनुपालन में जिला नगरीय विकास अभिकरण के गठन हेतु संस्था के "मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन" एवं "आर्टिकिल आफ एसोसिएशन" तैयार कर लिए गये हैं। अतः कथित मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन/आर्टिकिल आफ एसोसिएशन की एक प्रति संलग्न करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत संस्था का पंजीकरण, सोसाइटीज रेजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत जिला स्तर पर कृपया तत्काल करा लें ताकि नेहरू रोजगार योजना में शामिल विभिन्न योजनाओं के साथ साथ अर्बन वेसिक सर्विसेज फार पुअर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु यथा निर्देश एक शीर्षस्थ स्थापित हो जाये।

2. इस सम्बन्ध में मुझे आपको यह भी सूचित करने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत अभिकरण में शामिल तीन अशासकीय सदस्यों का राज्य सरकार द्वारा नामांकन किया जाना है। चूंकि इनके नामांकन में कुछ समय लग सकता है। इसलिए कथित अभिकरण के पंजीकरण हेतु प्रश्नगत अशासकीय सदस्यों के औपचारिक नामांकन की प्रतीक्षा नहीं की जाये तथा संस्था का पंजीकरण तत्काल कर लिया जाये। पंजीकरण हो जाने पर

उसकी सूचना शासन तथा अपने क्षेत्र के समस्त स्थानीय निकायों को भी यथाशीघ्र भिजवाने की व्यवस्था कर दें।

भवदीय,

राम कृष्ण
सचिव

संख्या–112 (1)ए/11-11-7-90 तद् दिनांक

प्रतिलिप निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषितः–

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(2) रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटीज।

(3) डा. एच.एस. आनन्द, निदेशक (यू.पी.ए.) शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

आज्ञा से

राम कृष्ण
सचिव